



RAJ

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

**कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर**  
वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: [ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in); Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (101/ओ.एफ.सी केबल)/एफसीए./मुवसं/2023-24/ 5079 दिनांक :- 21/8/2023  
निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.0857 ha. Of forest land in favour of Jio digital Fiber Pvt. Ltd for permission for laying underground OFC in ROW of existing PWD road from paluna- Dhaul Ji Ghura from lat/long point 24.308667 / 73.847714 to 24.316406 /73.860933 for total length 1.904 Km and area 0.0857 ha in forest in Udaipur District Rajasthan. Proposal No. (FP/Rj/OFC/4420 1/ 2020)

संदर्भ :-आपका पत्रांक 5302 दिनांक 17.03.223 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित से आलौच्य प्रकरण में दो बिन्दुओं पर आक्षेप लगाए जाकर वांछित सूचना चाही गई है, के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक एफ ()/तकनीकी/उवसं/2023-24/5865 दिनांक 04.08.2023 से सूचना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उप वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त सूचना इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार तैयार की जाकर मूल ही दो प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	सूचना
1	प्रेषित पालना रिपोर्ट में वचनबद्धताओं पर उप वन संरक्षक के प्रति हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।	प्रेषित पालना रिपोर्ट में समस्त वचनबद्धताओं पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर दिये गए हैं।
2	जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के साथ जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तर की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।	जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के साथ जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तर की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर दी गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (मूल ही दो प्रतियों में)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।  
दिनांक :-

क्रमांक एफ 5 (101/ओ.एफ.सी केबल)/एफसीए./मुवसं/2023-24/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- उप वन संरक्षक, उदयपुर को उनके पत्रांक 5865 दिनांक 04.08.2023 के कम में प्रेषित कर लेख है कि जब तक उक्त प्रकरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति न मिले तब तक वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य न हो यह भी सुनिश्चित करें।
- Jio Digital Fiber Pvt. 194 Moti Towe, opposite ICICI Bandk Ltd, Sector 11, Hiranmangari, Udaipur.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Raj Kumar Singh  
Designation: Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.28 15:43:44 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4545140



कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन-313001

E-mail :- dcf.udpr.forest@gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांक-एफ( )/तकनिकी/उ.व.स./2023-24/ 5865

दिनांक:- 4/8/2023

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

विषय:- permission for laying underground OFC in ROW of existing PWD road from paluna- Dhaul Ji Ghura from lat/long point 24.308667 / 73.847714 to 24.316406 /73.860933 for total length 1.904 Km and area 0.0857 ha in forest in Udaipur District Rajasthan

सन्दर्भ:- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (OFC) 2020/एफसीए/ प्रमुवसं/ 5303-04 दिनांक 17.03.2023 एवं आपका पत्र क्रमांक 2503 दिनांक 12.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर दी गई है जो निम्नानुसार है।

- 1-प्रेषित पालना रिपोर्ट में समस्त वचनबद्धताओं पर उप वन संरक्षक के प्रति हस्ताक्षर करवा दिये गये हैं।
- 2-जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के साथ जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय व ग्राम पंचायत स्तर की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर दी गई है।

भुवदीय

(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक,

उदयपुर

01/08/23

दिनांक:- 4/8/2023

क्रमांक-एफ( )/तकनिकी/उ.व.स.उ./2023-24/ 5866-67

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
- 2-jio Digital Fibre Pvt. 194 Moti, opposite ICICI Bank Ltd, Sector 11, Hiranmagari Udaipur

उप वन संरक्षक,

उदयपुर

01/08/23


# कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)


-: बैठक कार्यवाही विवरण :-


जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा पलुना - धुनजी का गुरा जिला-उदयपुर में 0.0857 हेक्टर वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के संबंध में आज दिनांक 13.12.2022 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।


उक्त ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली कुल रकबा 0.0857 है। वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार ग्राम पलोदडा तहसील सराडा जिला-उदयपुर में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत/ विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	जियो अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	-	पलोदडा 35,36,37, 67,33, 2999/206, 3050/205	पलोदडा	0.0857 है	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एवं सराडा उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण


  
उप वन संरक्षक,  
उदयपुर


  
अतिमुख्य कार्यकारी  
अधिकारी,  
जिला परिषद,  
उदयपुर

  
उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास  
विभाग, उदयपुर

  
जिला कलक्टर,  
उदयपुर

  
श्रीमती नवली गमेती,  
जिला परिषद सदस्य,  
उदयपुर

  
श्री विजयराम,  
जिला परिषद सदस्य,  
उदयपुर

  
(श्री पुष्कर तेली)  
उप जिला प्रमुख, जिला  
परिषद, उदयपुर

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर**

**::बैठक कार्यवाही विवरणः**

जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. द्वारा राजस्व ग्राम पलुना ग्राम पंचायत अमरपुरा, पलोदडा ग्राम पंचायत पलोदडा तहसील सराडा से जिला उदयपुर मे पलुना से धुलजी का गुडा तक अण्डर ग्राउन्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के सम्बन्ध मे आज दिनांक 03/12/2022 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक मे उक्त ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध मे ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नही किया गया है, और न ही वर्तमान मे विचाराधीन है। तदनुसार पलुना से धुलजी का गुडा तक अण्डर ग्राउन्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन	वि. वि.
1	पलुना से धुलजी का गुडा तक अण्डर ग्राउन्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	ग्राम पलोदडा वन विभाग की भूमि स्टेट हाईवे के दोनों तरफ लगती हुई ROW क्षेत्र की वन भूमि।	ग्राम पलोदडा की वन भूमि खसरा संख्या 33, 35, 36, 37, 67, 2999 / 206, 3050 / 205	पलोदडा	0.0857 हेक्टेयर	Nil	

नोट-ग्राम पलुना, ग्राम पंचायत अमरपुरा की कोई भी वन भूमि उदयपुर बासवाडा स्टेट हाईवे क्षेत्र मे नही आती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी सराडा

विकास अधिकारी

*(Signature)*

तहसीलदार सराडा जिला-उदयपुर (राज.)

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी सराडा

विकास अधिकारी पंचायत समिति जयसखर

*(Signature)*  
उदयपुर



ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

ग्राम पंचायत, पलोदड़ा, पंचायत समिति, जयसमन्द  
जिला-उदयपुर

प्रेषक:	कमलेश मीणा सरपंच
---------	---------------------

दिनांक : 3/11/2022

क्रमांक: 66/504/2

X अनापत्ति प्रमाण पत्र X  
(NOC)

श्रीमान् जिला कलेक्टर उदयपुर के पत्र क्रमांक 2687-38 दिनांक 13/3/22 के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकांश केले पलोदड़ा के निर्देशानुसार ग्राहक पलोदड़ा एवं पलोदड़ा के कार्यालय के जियो डिजिटल फाइल द्वारा जारी फल फॉर्म के विधान हेतु कबल हुआ है। ग्राहक पलोदड़ा के लेबर गुजरे के लेबर के रकम रु. 34,173 एवं  $\frac{2997}{2104}$  ही लवकर रु. 34 एवं 173 के अन्तर्गत PWD एवं लवकर रु.  $\frac{2997}{2104}$  रु. भी बिलगाकर है।

रु. 34 व 173 के लेबर लवकर रु. भी रु. भी वरु भी वरु वरु (लवकर ग्राहक पंचायत व  $\frac{2997}{2104}$  के लेबर लवकर रु. भी रु. भी वरु वरु वरु (लवकर ग्राहक पंचायत पलोदड़ा व वरु सविचार रु. भी पलोदड़ा इला ग्राहक रु. भी दिनांक 3/11/22 के अन्तर्गत रु. भी इला जियो डिजिटल फाइल रु. भी रु. भी जारी फल फॉर्म के विधान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आज दिनांक 3/11/22 को जारी किया जाता है।

**Kamlesh**  
(कमलेश मीणा)  
सरपंच  
ग्राम पंचायत-पलोदड़ा  
पं.स. जयसमन्द (उदयपुर)

**[Signature]**  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत-पलोदड़ा  
पं.स. जयसमन्द (उदयपुर)

**[Signature]**  
अध्यक्ष  
पंचायत सविचार पलोदड़ा

दो गज दूरी मास्क है जरूरी

**[Signature]**  
साथीव  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

# कार्यालय ग्राम पंचायत, अमरपुरा

पंचायत समिति जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

और से :

**सरपंच**  
ग्राम पंचायत, अमरपुरा  
पं.स. जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

सेयामें,

श्रीमान्

क्र.सं. अमरपुरा/2022.20.221/87-8


दिनांक : 7/11/22


अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के पत्र क्रमांक 2681-28 दिनांक 19/9/22 के अंतर्गत प्रमाण उपकरण कठिनाई महो. सरास के निर्देशानुसार प्राप्त पत्रुना एवं ग्राम 80 अमरपुरा 80 सरास में जिनको डिजिटल फॉर्मेट शान्ति द्वारा भाषीकल फॉरिब्ल लाइन लगाने हेतु कलसे इकाई 1270 80 अमरपुरा में होकर गुजनेवाले से हमले के खतरा से 1027, 1028, 135, 140, 173, 175, 176, 738, 766 है। प्रस्तुत खतरा सत्यापनी तमाम PWD के नाम पर है एवं खतरा से 173 के दोने गेट के शीत वन विभाग के नाम पर है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र अमरपुरा के वन कठिनाई लाने के द्वारा ग्राम लका थिनाड 7/11/22 के अनापत्ति 8 द्वारा जिनको डिजिटल फॉरिब्ल शान्ति द्वारा भाषीकल फॉरिब्ल लाइन बिधाने हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र आज दिनांक 7/11/22 को जारी किया जाता है।

  
ग्राम विपरीत अधिकारी  
ग्राम पंचायत अमरपुरा  
पं.स.-जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

  
सरपंच  
ग्राम पंचायत अमरपुरा  
पं.स.-जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय उपरबण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर (राज.)  
क्रमांक। राजस्व। २०२१/२७१२ दिनांक-१२-१२-२०२२

प्रार्थना :-

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय  
उदयपुर।

विषय :- ग्राम पलुना से धुलजी का गुडा तक औप्टीकल फाइबर  
लाईन बिछाने हेतु आ रही वन भूमि के सम्बन्ध में वनधिकार  
अधिनियम १००६ के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी  
करने के सम्बन्ध में।


प्रस्ताव :- श्रीमान का पत्र क्रमांक। राज। २०२१। २६१७-४४ दिनांक १३-०३-२२



महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन  
है कि जियो डिजिटल फाइबर प्रा. लि. द्वारा औप्टीकल फाइबर लाईन बिछाने  
हेतु आ रही वन भूमि की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पलुना  
ग्राम पंचायत अमरपुरा से होकर गुजरने वाले उदयपुर-बोसवाडा स्टेट  
हाइवे के खसरा संख्या  $\frac{1027}{175}, \frac{1028}{140}, 135, 140, 173, 175, 176, 738$   
एवं १६६ हैं। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त खसरा संख्या की भूमि सार्व-  
जनिक निर्माण विभाग (PWD) के नाम दर्ज है एवं मौके पर उक्त खसरा  
संख्या के दोनो साईड से लगती हुई कोई भी भूमि वन विभाग के नाम  
दर्ज नहीं है।

ग्राम पलोडडा से होकर गुजरने वाले स्टेट हाइवे के खसरा  
संख्या ३५, १७३ एवं  $\frac{२९९४}{२१०४}$  हैं। राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या  
३५ एवं १७३ सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के नाम एवं खसरा संख्या  
 $\frac{२९९४}{२१०४}$  की भूमि बिलानाम दर्ज है। मौके एवं रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या  
३५ एवं १७३ के दोनो साईड वन विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा संख्या  
३५, ३६, ३७, ६७, ३३,  $\frac{२९९९}{२०८}, \frac{३०५०}{२०५}$  हैं स्थित हैं एवं खसरा संख्या  $\frac{२९९४}{२१०४}$   
के दोनो साईड की भूमि गैर वन भूमि है।

जियो डिजिटल फाइबर प्रा. लि. द्वारा विद्यमान ROW में भूमिगत  
OFC बिछाने हेतु आवेदन किया गया है। राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी, नक्शा  
एवं नजरा नक्शा सत्यापन हैं। प्रकरण में उपरबण्ड स्तरीय समिति की  
बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रकरण में जियो डिजिटल  
फाइबर प्रा. लि. द्वारा ROW में भूमिगत OFC बिछाने हेतु अनुमति दी जाती  
है तो कोई आपत्ति नहीं है।

  
उपरबण्ड अधिकारी  
सराडा, जिला-उदयपुर (राज.)



**Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)**

**Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020**

**Applied Area : 0.0857 Ha.**

मैं, दिलजीत सिंह शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह है कि मैं एक भारतीय नागरीक हूँ।
2. यह कि जियो डिजिटल फाइबर प्रा.लि. का एटोर्नी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरा की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजन के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। इसमें प्रयोक्ता



प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किय जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12. माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 01-06-22 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited

Authorised Signatory  
भवदीय,

( Diljit Singh )



SIGN./MARKS/PHOTO/THUMB  
ATTESTED

JAGDISH KUMAR  
NOTARY GIRVA, UDAIPUR

28/11/22

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरा की पूर्णतया सहमति है।

C.S  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय,  
for- Jio Digital Fibre Pvt. Limited  
Authorized Signatory

Date: 27.11.2022


1. **Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)**

**Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020**

**Applied Area : 0.0857 Ha.**

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S.  
  
 (सुगनाराम जाट)  
 उप वन संरक्षक  
 उदयपुर

भवदीय,  
 for- Jio Digital Fibre Private Limited  
 Authorized Signatory

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S



(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय  
for- Jio Digital Fibre Private Limited  
Authorized Signatory

Date: 27.11.2022

1. **Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)**


**Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020**

**Applied Area : 0.0857 Ha.**

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited  
 Authorised Signatory

C.S  
  
 (सुगनाराम जाट)  
 उप वन संरक्षक  
 उदयपुर

Date: 27.11.2022

1. **Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)**

**Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020**

**Applied Area : 0.0857 Ha.**

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1( 136 ) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या ( 6 ) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited

C.G



(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

Authorised Signatory

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)


Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किय जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited

C.S  


Authorised Signatory

(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.


सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय  
for- Jio Digital Fibre Private Limited

Authorized Signatory

C.S



(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर



Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)


Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1( 136 ) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या ( 10 ) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited

C.S  


Authorised Signatory

(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited  
भवदीय,

Authorised Signatory

C.S

(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

FORM-1  
(For linear projects)

Government of Rajasthan

**Office of the District collector UDAIPUR**

No. F.39/1( )Rev/FRA/2023/ 205-07

Date: - 17 .01.2023


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area **0.0857 Hectares** of land is proposed to be diverted in favor of **Jio Digital Fiber Pvt. Limited** laying of optical fiber cable for village palodra sub division. sarada District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village palodra sarada Tehsil.

It is further certified that: -


- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.0857 Hectare** of forest area proposed from the from gram panchayat palodara. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above

  
(Tara Chand Meena)  
District Collector,  
Udaipur

Copy forward to-

- 1. D.C.F. Udaipur.
- 2. S.D.M. sarada.
- 3. Jio Digital Fiber Pvt. Limited frist floor Anand Bhawan, SC Road jaipur.

  
District Collector,  
Udaipur

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1( 136 ) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या ( 3 ) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजन के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S

2

(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय  
for- Jio Digital Fibre Private Limited  
Authorized Signatory


# कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)


-: बैठक कार्यवाही विवरण :-


जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा पलुना - धुलजी का गुंरा जिला-उदयपुर में 0.0857 हेक्टर वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के संबंध में आज दिनांक 13.12.2022 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।


उक्त ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली कुल रकबा 0.0857 है. वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार ग्राम पलोदडा तहसील सराडा जिला-उदयपुर में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।


क्र. सं.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत/ विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	जियो अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	-	पलोदडा 35,36,37, 67,33, 2999/206, 3050/205	पलोदडा	0.0857 है.	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एवं सराडा उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण


  
उप वन संरक्षक,  
उदयपुर


  
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी,  
जिला परिषद,  
उदयपुर

  
उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास  
विभाग, उदयपुर

  
जिला कलक्टर,  
उदयपुर

  
श्रीमती नवली गमेती,  
जिला परिषद सदस्य,  
उदयपुर

  
श्री विजयराम,  
जिला परिषद सदस्य,  
उदयपुर

  
(श्री पुष्कर तेली )  
उप जिला प्रमुख, जिला  
परिषद, उदयपुर

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर**


**:: बैठक कार्यवाही विवरण ::**

जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. द्वारा राजस्व ग्राम पलुना ग्राम पंचायत अमरपुरा, पलोदडा ग्राम पंचायत तहसील सराडा से जिला उदयपुर मे पलुना से धुलजी का गुडा तक अण्डर ग्राउन्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के सम्बन्ध मे आज दिनांक 09/12/2022 को उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक मे उक्त ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध मे ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशांषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नही किया गया है, और न ही वर्तमान मे विचाराधीन है। तदनुसार पलुना से धुलजी का गुडा तक अण्डर ग्राउन्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशांषा की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/दावा स्वीकृत / विचाराधीन	वि. वि.
1	पलुना से धुलजी का गुडा तक अण्डर ग्राउन्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	ग्राम पलोदडा वन विभाग की भूमि स्टेट हाईवे के दोनो तरफ लगती हुई ROW क्षेत्र की वन भूमि।	ग्राम पलोदडा की वन भूमि खसरा संख्या 33, 35, 36, 37, 67, 2999/206, 3050/205	पलोदडा	0.0857 हेक्टेयर	Nil	


नोट-ग्राम पलुना, ग्राम पंचायत अमरपुरा की कोई भी वन भूमि उदयपुर बांसवाडा स्टेट हाईवे क्षेत्र मे नही आती है।

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सराडा

विकास अधिकारी



तहसीलदार सराडा  
जिला-उदयपुर (राज.)

  
उपखण्ड अधिकारी  
सराडा

विकास अधिकारी पंचायत समिति जयसम्ब  
सराडा

  
सदस्य  
पंच. सम.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
 ग्राम पंचायत, पलोदडा, पंचायत समिति, जयसमन्द  
 जिला-उदयपुर




प्रेषक :  
**कमलेश मीणा**  
 सरपंच


दिनांक 3/11/2022



\* आवापति पत्र \*  
 (NOC)

श्रीमान जिला कलेक्टर उदयपुर के पत्र क्रमांक 2687-88 दिनांक 19/11/22 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर उदयपुर के निर्देशानुसार गांव पलोदडा एवं पलोदडा व करवा के लिये डिजिटल फाइल प्र. 18 द्वारा जारी फल फाईल के विद्यमान हुए क्वॉट नुमाई गांव पलोदडा के लिए गुजरेते वाले क्षेत्र के खसरा क्र. 34, 173 एवं 2997 है। खसरा क्र. 34 एवं 173 के अंतर्गत अग्रार PWD एवं खसरा क्र. 2997 की विलागत है। खसरा क्र. 34 एवं 173 के क्षेत्र में भी अग्रार वन विभाग में है। खसरा क्र. 2997 के क्षेत्र में भी अग्रार वन विभाग में है। पलोदडा व करवा के अधिकांक कृषि पलोदडा द्वारा गांव कृषि दिनांक 3/11/22 के अंतर्गत क्र. 7 द्वारा लिये डिजिटल फाइल प्र. 18 द्वारा जारी फल फाईल के विद्यमान हुए आवापति पत्र जारी किया जाता है।

उक्त आवापति पत्र आज दिनांक 3/11/22 को जारी किया जाता है।

  
 (कमलेश मीणा)  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत-पलोदडा  
 पं.स. जयसमन्द (उदयपुर)

  
 ग्राम विकास अधिकारी  
 ग्राम पंचायत पलोदडा  
 पं.स. जयसमन्द (उदयपुर)

  
 उदयपुर  
 वनाधिकारी कृषि पलोदडा  
  
 वनाधिकारी कृषि पलोदडा

दी गज दुरी मास्क है जरूरी

# कार्यालय ग्राम पंचायत, अमरपुरा

पंचायत समिति जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

और से:

**सरपंच**  
ग्राम पंचायत, अमरपुरा  
पं.स. जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

सेवार्थे,  
श्रीमान्.....

दिनांक : 7/11/22


क्र. : गा.पं. अमरपुरा/2022.20.22/29-8


## अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के पत्र क्रमांक 2687-28 दिनांक 11/11/22 के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्ध कठिनाई रही. सराश के निर्देशानुसार गा.पं. अमरपुरा एवं ग्राम 90 अमरपुरा एवं सराश के जियो डिजिटल कवरेज जांच के द्वारा मापकील फाईल खार्चि लगाने हेतु कवरेज इकाई 1370 90 अमरपुरा में होना गजनेवाले से हटाने के खर्च से  $\frac{1527}{125}$   $\frac{1528}{140}$ , 140, 173, 175, 176, 738, 766 है। इस खर्च से खर्चा की तमास PW.0 के नाम पर है एक खर्च से 173 के दोनो पेटे की शक्ति वन विभाग के नाम पर है।

अतः आनीप 970 90 अमरपुरा का वन कवरेज लगाने के द्वारा ग्राम अनापत्ति 7/11/22 के अन्तर्गत 8 द्वारा जियो डिजिटल फाईल खार्चि द्वारा मापकील फाईल खार्चि बिधाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र आज दिनांक 7/11/22 को जारी किया जाता है।

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत अमरपुरा  
पं.स.-जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)

  
सरपंच  
ग्राम पंचायत अमरपुरा  
पं.स.-जयसमंद, जिला-उदयपुर (राज.)



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला उदयपुर (राज.)  
क्रमांक/राजस्व/२०२१/२७१२  
दिनांक-12-12-2022

प्रति :

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय  
उदयपुर।

विषय :- ग्राम पलुना से धुसजी का गुडा तक ऑप्टीकल फाइबर  
साईन बिछाने हेतु आ रही वन भूमि के सम्बन्ध में वनधिकार  
अधिनियम १००६ के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी  
करने के सम्बन्ध में।


प्रसंग :- श्रीमान का पत्र क्रमांक/राज./२०२१/२६९७-९९ दिनांक १९-०९-२२


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन  
है कि जियो डिजिटल फाइबर प्रा. लि. द्वारा ऑप्टीकल फाइबर साईन बिछाने  
हेतु आ रही वन भूमि की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पलुना  
ग्राम पंचायत अमरपुरा से होकर गुजरने वाले उदयपुर - बांसवाडा स्टेट  
हाईवे के खसरा संख्या  $\frac{1027}{175}$ ,  $\frac{1028}{140}$ , 135, 140, 173, 175, 176, 738  
एवं 766 हैं। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त खसरा संख्या की भूमि सार्व-  
जनिक निर्माण विभाग (PWD) के नाम दर्ज हैं एवं मौके पर उक्त खसरा  
नम्बरन के दोनो साईड से लगती हुई कोई भी भूमि वन विभाग के नाम  
दर्ज नहीं है।

ग्राम पलोदडा से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे के खसरा  
संख्या 34, 173 एवं  $\frac{2994}{2104}$  हैं। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या  
34 एवं 173 सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के नाम एवं खसरा संख्या  
 $\frac{2994}{2104}$  की भूमि बिलानाम दर्ज हैं। मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या  
34 एवं 73 के दोनो साईड वन विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा संख्या  
35, 36, 37, 67, 33,  $\frac{2992}{206}$ ,  $\frac{3050}{209}$  हैं स्थित हैं एवं खसरा संख्या  $\frac{2994}{2104}$   
के दोनो साईड की भूमि गैर वन भूमि हैं।

जियो डिजिटल फाइबर प्रा. लि. द्वारा विद्यमान ROW में भूमिगत  
OFC बिछाने हेतु आवेदन किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, नक्शा  
एवं नजारे नक्शा संलग्न हैं। प्रकरण को उपखण्ड स्तरीय समिति की  
बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त प्रकरण में जियो डिजिटल  
फाइबर प्रा. लि. द्वारा ROW में भूमिगत OFC बिछाने हेतु अनुमति दी जाती  
है तो कोई आपत्ति नहीं है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सराडा, जिला-उदयपुर (राज.)



**Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)**

**Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020**

**Applied Area : 0.0857 Ha.**

मैं, दिलजीत सिंह शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह है कि मैं एक भारतीय नागरीक हूँ।
2. यह कि जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. का एटोर्नी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरा की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजन के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

20132


सिलजीग सिट

...

...

अत्रवीप सिटिंग्स शापथ प्राह


28-11-22



3/1

3

...	10
...	20
...	30
...	3



8: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किय जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12. माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 01-06-22 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited

Authorised Signatory  
भवदीय,

( Diljind Singh )



SIGN./MARKS/PHOTO/THUMB  
ATTESTED

JAGDISH KUMAR  
NOTARY GIRVA, UDAIPUR

28/11/2022



### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.


Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.



Scan QR code or login to [www.bhimindia.com](http://www.bhimindia.com) in 3 easy steps.

### PERSONAL

Exchange of names

1. I, Mrs. S. S. Srinivas, residing at No. 10, Main Street, Bangalore, Karnataka, hereby declare that I have changed my name from S. S. Srinivas to S. S. Srinivas. The change of name is for all legal purposes. I have attached the necessary documents for the change of name. The change of name is effective from the date of this declaration. For further details, please refer to the attached documents. The change of name is effective from the date of this declaration.

### TECHNICAL

Readers are recommended to make appropriate enquiries and send money, including any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. The Times of India Group cannot be held responsible for any claims made by or on behalf of any advertiser or publisher and its servants. The Times of India Group and its publishers shall not be held liable for any consequences in the event such claims are not honoured by the advertiser.

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, is inviting tenders for the supply of 1000 metric tons of Bitumen 60/70 for the construction of roads in the State of Karnataka. The tenders should be submitted on or before 10.00 AM on 15.12.2012 at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. For further details, please refer to the tender document available at the office of the Public Works Department, Government of Karnataka, Bangalore. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012. The tender documents are available from 10.00 AM on 08.12.2012 to 10.00 AM on 14.12.2012.

### ADVERTISING

Advertisement rates for the Times of India Group. For further details, please refer to the attached documents. The advertisement rates are as follows:   
 - Full page: Rs. 1000 per line per day   
 - Half page: Rs. 500 per line per day   
 - Quarter page: Rs. 250 per line per day   
 - One line: Rs. 100 per line per day   
 For further details, please refer to the attached documents. The advertisement rates are as follows:

### BUCKLE UP FOR LIFE

Table showing the number of deaths and injuries from road accidents in India from 2008 to 2010. The table shows a significant increase in deaths and injuries over the period.

Year	No. of Drivers	No. of Passengers	Total Deaths
2008	9340	15086	24426
2009	9552	11233	20785
2010	7280	11233	18513

### 'Could Be Held Contributing Factor To Death, Injury'

New Delhi: The death of the late actor Chiranjeev in a motor accident on Sunday has again thrown light on the fact that not many straps on their seat belts while occupying the rear seat of a vehicle.

The non-compliance of seat belt laws not only puts the vehicle occupants lives at risk, their kin, in case of an accident, may also end up getting lower compensation.

Times View: Using seat belts – rear or front – can save your life, but unfortunately, few use the rear seat belt. A massive media campaign should be launched to raise public awareness on this issue. Manufacturers can also help by introducing audio alerts in all cars.

### Make rear-seat belt reminders must to improve compliance: Road safety activists

Mild shift rule of non-compliance of rear-seat belt reminders across the country, road safety activists have urged the government to introduce seat belt reminders for occupants of those seats too, reports Dink Dink.

Currently, it is mandatory for vehicle makers to provide seat belt reminders only for front seat occupants. Studies across the globe have shown that audio alerts have resulted in increased compliance. Introduction of this feature will have assumed significance considering the government's proposal to make six airbags mandatory in all cars. The deployment of airbags could prove dangerous for occupants of the car not wearing seat belts.

### BUCKLE UP FOR LIFE

The initial investigation by Maharashtra Police had earlier blamed the former chairman of Tata Sons, and another passenger in the car. The investigation has brought the focus on the non-compliance of rear seatbelts in India. Experts told TOI that there is a high probability of the motor-accident claims tribunal not favouring full compensation claims in such cases in which the deceased are found violating the mandatory law.

"There is no law which says that if a person doesn't wear a seat belt and is killed in an accident, the tribunal will not be of the will not get compensation. In such cases, the tribunals or courts will go into the causes and may hold the faulting of the seat belt as a contributing factor to the liability of injury. The tribunal or courts may then be inclined to award a lower compensation," said Dink K Nag, a lawyer who has been dealing with cases of

### BUCKLE UP FOR LIFE

According to data available with the government, 1715 from 2008 to 2010 show that in case of 60,468 road crash deaths, not wearing seat belts was one of the major causes of death. Although compilation of data does not specify the number of rear-seat occupants killed due to not wearing seat belts, more than 50% of these fatalities were passengers.

Two different surveys by Market Standard India in 2010 and Savitri Foundation in 2010 revealed low compliance of seatbelts.

### BUCKLE UP FOR LIFE

According to data available with the government, 1715 from 2008 to 2010 show that in case of 60,468 road crash deaths, not wearing seat belts was one of the major causes of death. Although compilation of data does not specify the number of rear-seat occupants killed due to not wearing seat belts, more than 50% of these fatalities were passengers.

Two different surveys by Market Standard India in 2010 and Savitri Foundation in 2010 revealed low compliance of seatbelts.

### BUCKLE UP FOR LIFE

Table showing the number of deaths and injuries from road accidents in India from 2008 to 2010. The table shows a significant increase in deaths and injuries over the period.

Year	No. of Drivers	No. of Passengers	Total Deaths
2008	9340	15086	24426
2009	9552	11233	20785
2010	7280	11233	18513

### BUCKLE UP FOR LIFE

The initial investigation by Maharashtra Police had earlier blamed the former chairman of Tata Sons, and another passenger in the car. The investigation has brought the focus on the non-compliance of rear seatbelts in India. Experts told TOI that there is a high probability of the motor-accident claims tribunal not favouring full compensation claims in such cases in which the deceased are found violating the mandatory law.

"There is no law which says that if a person doesn't wear a seat belt and is killed in an accident, the tribunal will not be of the will not get compensation. In such cases, the tribunals or courts will go into the causes and may hold the faulting of the seat belt as a contributing factor to the liability of injury. The tribunal or courts may then be inclined to award a lower compensation," said Dink K Nag, a lawyer who has been dealing with cases of

### BUCKLE UP FOR LIFE

According to data available with the government, 1715 from 2008 to 2010 show that in case of 60,468 road crash deaths, not wearing seat belts was one of the major causes of death. Although compilation of data does not specify the number of rear-seat occupants killed due to not wearing seat belts, more than 50% of these fatalities were passengers.

Two different surveys by Market Standard India in 2010 and Savitri Foundation in 2010 revealed low compliance of seatbelts.

### BUCKLE UP FOR LIFE

According to data available with the government, 1715 from 2008 to 2010 show that in case of 60,468 road crash deaths, not wearing seat belts was one of the major causes of death. Although compilation of data does not specify the number of rear-seat occupants killed due to not wearing seat belts, more than 50% of these fatalities were passengers.

Two different surveys by Market Standard India in 2010 and Savitri Foundation in 2010 revealed low compliance of seatbelts.

### BUCKLE UP FOR LIFE

According to data available with the government, 1715 from 2008 to 2010 show that in case of 60,468 road crash deaths, not wearing seat belts was one of the major causes of death. Although compilation of data does not specify the number of rear-seat occupants killed due to not wearing seat belts, more than 50% of these fatalities were passengers.

Two different surveys by Market Standard India in 2010 and Savitri Foundation in 2010 revealed low compliance of seatbelts.

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरा की पूर्णतया सहमति है।

C.S  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय,  
for- Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.  
Authorised Signatory

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय,  
for- Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.  
Authorized Signatory



Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजन के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय  
for- Jio Digital Fibre Private Limited  
Authorized Signatory

Date: 27.11.2022


1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)


Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S  
  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवदीय  
for- Jio Digital Fibre Private Limited  
  
Authorized Signatory

Date: 27.11.2022


1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

for- Jio Digital Fibre Private Limited  
  
Authorized Signatory

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhulji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020


Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

for- Jio Digital Fibre Private Limited

Authorised Signatory

  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किय जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S

(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

for- Jio Digital Fibre Private Limited

Authorised Signatory

Date: 27.11.2022

1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

भवनदीय  
for- Jio Digital Fibre Private Limited

Authorised Signatory

Date: 27.11.2022


1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)


Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

for- Jio Digital Fibre Private Limited  
  
Authorized Signatory

Date: 27.11.2022


1. Project Name : Diversion of 0.0857 Ha. of Forest Land in Favour of Jio Digital Fibre Pvt. Ltd. For laying of underground Optical Fibre Cable along the (Paluna to Dhul ji ka Gudha)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/44201/2020

Applied Area : 0.0857 Ha.

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प-1(136) वन/2020 दिनांक 01-06-2022 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

  
(सुगनाराम जाट)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर

for- Jio Digital Fibre Private Limited  
भिवदीय,

Authorised Signatory



FORM-1  
(For linear projects)

Government of Rajasthan

**Office of the District collector UDAIPUR**

No. F.39/1( )Rev/FRA/2023/ 205-07

Date: - 17 .01.2023


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area **0.0857 Hectares** of land is proposed to be diverted in favor of **Jio Digital Fiber Pvt. Limited** laying of optical fiber cable for village palodra sub division. sarada District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village palodra sarada Tehsil.

It is further certified that: -


- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.0857** Hectare of forest area proposed from the from gram panchayat palodara. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above

  
(Tara Chand Meena)  
District Collector,  
Udaipur


Copy forward to-

1. D.C.F. Udaipur.
2. S.D.M. sarada.
3. Jio Digital Fiber Pvt. Limited first floor Anand Bhawan, SC Road jaipur.

  
District Collector,  
Udaipur



BUCKLE UP FOR LIFE



Section 124(D) mandates manufacturers of all four-wheelers to equip every vehicle with seatbelts for front and rear seat occupants.

Make rear-seat belt reminders must to improve compliance: Road safety activists

A mid-air crash in the country, road safety activists have urged the government to introduce 'seat belt reminders' for occupants of those seats too.

Times View: Using seat belts - rear or front - can save your life, but unfortunately, few use the rear seat belt.

Public awareness on this issue, manufacturer can also help by introducing audio alerts in all cars.

THE SEATBELT LAW

Section 124(D) mandates manufacturers of all four-wheelers to equip every vehicle with seatbelts for front and rear seat occupants.

'Could Be Held Contributing Factor To Death, Injury'

In a recent judgment, the court held that the death of a child in a motor accident on Sunday was again not on the fact that the driver was not wearing a seat belt.

GENERAL

WASPOT: Working women... National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.

PERSONAL

Change of Name: I am Mrs. Smt. N. K. Kulkarni, residing at...

NOTICES

Public Notice: This is to inform the public that the property of the late...

Jobs: Manager (Marketing) at National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.

Situation Vacant: Mr. Smt. N. K. Kulkarni, residing at...

Web Developer: I am a professional web developer with 5 years of experience...

Multiple Vacancies: RECD, Dynamic Technical Staff for various infra projects.

Technical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Production: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.

Medical: BTRA invites to purchase Spares/Accessories for Cotton Flare Spinning Machine.